[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

दंड संहिता, 1860 -s.302 r/ws।34 – हत्या-सामान्य इरादा-विचारण विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चारों अभियुक्तों का मृतक को मारने का समान इरादा था, और उन्हें यू/एस के तहत दोषी ठहराया।302 आर/डब्ल्यू एस।34 – उच्च न्यायालय अनुज्ञात अभियुक्त नं.1 और 3 (प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2), उन्हें संदेह का लाभ देकर और यह देखते हुए कि नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य में एक विरोधाभास था और इसलिए उनकी उपस्थिति ही संदिग्ध थी-उच्च न्यायालय के अनुसार, तीन चश्मदीद गवाहों ने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के हाथों में कुल्हाड़ी थी, और उन्होंने मृतक पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला किया, हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार कुल्हाड़ी से ऐसी कोई चोट नहीं पाई गई-राज्य की अपील पर, कहा गया:तथ्यों पर, नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई भौतिक विरोधाभास नहीं थे, जिनमें से आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए-सभी अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित की गई और साबित की गई और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 सहित सभी अभियुक्तों ने सामान्य इरादे को साझा किया-अन्यथा, एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित और साबित कर दिया गया कि सभी अभियुक्त घटना स्थल पर मृतक को मारने के सामान्य इरादे से आए थे और इस तरह, उन्होंने सामान्य इरादे को साझा किया, उस मामले में यह मायने नहीं रखता था कि किसी भी आरोपी ने सामान्य इरादे से किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं और/या उनमें से किसी ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी या नहीं-विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 यू/के साथ सभी अभियुक्तों को सही तरीके से दोषी ठहराया।302 आर/डब्ल्यू एस।34 भारतीय दंड संहिता .

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** उच्च न्यायालय के अनुसार, चश्मदीद गवाह पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3** और पीडब्लू**5** ने कहा कि आरोपी नंबर **1** और **3** के हाथों में कुल्हाड़ी थी, उन्होंने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया, हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार कुल्हाड़ी से ऐसी कोई चोट नहीं मिली है।

/

754

755

एम. पी. बनाम राज्यरामजी लाल शर्मा और एएनआर।

/

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पीडब्लू**1,** पीडब्लू**3** और पीडब्लू**5** सभी घटना के चश्मदीद गवाह हैं और जहां तक अन्य अभियुक्तों का संबंध है, वे माने जाते हैं।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राथमिकी दर्ज करने/दर्ज करने की शुरुआत से ही सभी अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया गया था।एफ**.** आई**.** आर**.** में अभियुक्त संख्या **1** और **3** का भी नाम था। सभी चश्मदीद गवाहों का कहना है कि आरोपी नंबर **1** और **3** भी अन्य अभियुक्तों के साथ आए थे।इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी उपस्थिति स्थापित और साबित की गई है। यहां तक कि पीडब्लू**1** के बयान से गुजरने पर भी, उनका मामला यह था कि आरोपी नंबर **1** ने पहले मृतक को कुल्हाड़ी से मारा जिसे मृतक ने अपने हाथ से पकड़ लिया था।यदि ऐसा होता तो स्वाभाविक रूप से मृतक के हाथ पर कोई चोट नहीं लग सकती थी।यहां तक कि पीडब्लू**5,** जो गवाहों में से एक है, ने भी गवाही दी है और जिरह में भी कहा है कि नहीं।**1** कुल्हाड़ी से मारा और उस मृतक ने कुल्हाड़ी का सिर पकड़ लिया, इसलिए कुल्हाड़ी से मृतक को नहीं मारा जा सका।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नेत्र में कोई भौतिक विरोधाभास हैं और चिकित्सा साक्ष्य जिससे उसे संदेह से लाभ होता है, अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।**[**पैरा **4.1] [759-**ए**-**एफ**]**

/

/

/

2 अन्यथा भी एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित और साबित हो जाता है कि सभी आरोपी मृतक को मारने के समान इरादे से घटना स्थल पर आए थे और इस तरह, वे

समान इरादे से आए थे**,** उस मामले में यह मायने नहीं रखता कि किसी भी आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं और/या उनमें से किसी ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी या नहीं।**[**पैरा **4.2] [759-**एफ**-**जी**]**

/

3. इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मृतक को मारने के लिए सभी अभियुक्तों द्वारा साझा किए गए सामान्य इरादे पर विशिष्ट निष्कर्ष दिए।हालाँकि**,** उच्च न्यायालय ने मामले के उपरोक्त महत्वपूर्ण पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।उच्च न्यायालय ने भी अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर चर्चा नहीं की है और/या फिर से सराहना नहीं की है और केवल यह देखते हुए अभियुक्त संख्या **1** और **3** को बरी कर दिया है कि नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभास हैं**,** और इसलिए अभियुक्त संख्या **1** और **3** की उपस्थिति संदिग्ध है और इसलिए**,** वे संदेह के लाभ के हकदार हैं।इस प्रकार नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई भौतिक विरोधाभास नहीं हैं।सभी अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित और साबित की गई है और अभियोजन पक्ष भी यह साबित करने में सफल रहा है कि सभी

/

/

/

/

अभियुक्त संख्या **1** और **3** सहित अभियुक्तों ने समान इरादे साझा किए।इसलिए**,** इस प्रकार विचारण विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **34** के साथ पठित धारा **302** के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या **1** और **3 (**प्रतिवादी संख्या **1** और **2)** सहित सभी अभियुक्तों को उचित रूप से दोषी ठहराया। **[**पैरा **4.3] [759-**जी**-**एच**; 760-**ए**-**सी**]**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 293।

/

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 13.12.2018 के निर्णय और आदेश से, 2006 के C. R. A. No.339 में ग्वालियर की पीठ।पी. वी. योगेश्वरन, ए. ए. जी., गोपाल झा, निशांत वर्मा, श्रेयश भारद्वाज, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

प्रशांत शुक्ला, दिव्येश प्रताप सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

/

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2006 की आपराधिक अपील अंतर्गत ग्वालियर की पीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को इसअंतर्गत मूल अभियुक्त संख्या 1 और 3 को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया है, मध्य प्रदेश राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 8 से कुछ समय पहलेः30 आईडी1 की सुबह मृतक मुंशीलाल के भाई भागीरथ का बेटा देवेंद्र आरोपी रामजीलाल के घर आटा मिल में गेहूं पीसने के लिए पैसे मांगने गया और आरोपी व्यक्ति मुकेश (ए-4) और बृजेश (ए-3) उससे मिले।जब देवेंद्र ने पैसे की मांग की, तो आरोपी नंबर 3 और आरोपी नंबर 4 ने उस पर लात और घूंसे से हमला किया।किसी तरह उसने खुद को बचा लिया।उक्त घटना को शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण के संज्ञान में लाया गया था।देवेंद्र के भाई रामगोपाल और पिता भागीरथ हाथापाई के बारे में पूछताछ करने के लिए आरोपी व्यक्तियों के घर गए।सभी आरोपी मृतक मुंशीलाल के घर की ओर जा रहे थे।उन्हें देखते ही मृतक का चचेरा भाई लक्ष्मीनारायण भी दरवाजे ए पर पहुँच गया।

/

/

/

757

एम. पी. बनाम राज्यरामजी लाल शर्मा और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मुंशीलाल का।अभियुक्त-मुकेश के पास 12 बोर की डबल बैरल वाली बन्दूक थी, अभियुक्त-कल्लू बृजकिशोर के पास 12 बोर की सिंगल बैरल वाली बन्दूक थी और अभियुक्त बृजेश उर्फ साधु उर्फ बृजनंदन और रामजीलाल के पास कुल्हाड़ी थी।उस समय मृतक रामस्वरूप के गोडा में पेशाब करके लौट रहा था।सभी अभियुक्तों ने उसे घेर लिया।आरोपी-रामजीलाल ने मुंशीलाल पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसे मृतक ने बाधित किया और पकड़ लिया और उसके बाद आरोपी मुकेश ने अपनी बन्दूक से गोली चला दी।आरोपी कल्लू ने भी अपनी बन्दूक से गोली चलाई।मृतक मुंशीलाल रामस्वरूप के गोडा में गिर गया।मूल शिकायतकर्ता-लक्ष्मीनारायण (पीडब्लू-1) सहित चश्मदीद गवाहों ने पूरी घटना को देखा।जब लक्ष्मीनारायण, देवेंद्र और सुरेंद्र ने मुंशीलाल को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए खाट (चारपाई) पर बिठाया, लेकिन मुंशीलाल की पुलिस स्टेशन

ले जाते समय मौत हो गई।शिकायतकर्ता लक्ष्मीनारायण ने सुबह 9 बजे घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई:20 सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302,307,34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए। जाँच अधिकारी ने जाँच शुरू की और गवाहों के बयान दर्ज किए।उन्होंने पंचनामा तैयार किया।उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट/मेडिकल सबूत एकत्र किए।जाँच के समापन के बाद, जाँच अधिकारी ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 302,307 और 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (5) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था।अभियुक्त ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और इसलिए, उन सभी पर उपरोक्त अपराधों के लिए विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया।

/

/

/

/

3. मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 सहित पांच चश्मदीद गवाहों से पूछताछ की।अभियोजन पक्ष ने डॉ. आर. के. तनेजा से पी. डब्ल्यू. 6 के रूप में भी पूछताछ की।अभियोजन पक्ष ने जांच अधिकारी से भी पूछताछ की।अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य को बंद करने के बाद, Cr.PC की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के आगे के बयान दर्ज किए गए।उनका मामला पूरी तरह से नकारने का था।इसके बाद, मौखिक और वृत्तचित्र के साथ-साथ अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने माना कि सभी अभियुक्तों का मृतक को मारने का समान इरादा था।अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और सभी अभियुक्तों को 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

/

/

/

3.1 आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील No.339 2006 को प्राथमिकता दी। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2-मूल अभियुक्त संख्या 1 और 3 द्वारा दायर अपील को उन्हें संदेह का लाभ देते हुए और यह देखते हुए अनुज्ञात कर लिया है कि नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभास है और इसलिए उनकी उपस्थिति ही संदिग्ध है।

/

3.2 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 और 2-मूल अभियुक्त संख्या 1 और 3 को संदेह का लाभ देकर बरी करने के आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

4. संबंधित पक्षों की ओर से विस्तार से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त को बरी करते हुए उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 14 में निम्नानुसार टिप्पणी की हैः- “14. दलीलें सुनने और अभिलेख को देखने के बाद, दो बातें स्पष्ट हैं; एक, अपीलकर्ता नंबर 1 रामजीलाल शर्मा और अपीलकर्ता नंबर 3 ब्रजमोहन @कल्लू की संलिप्तता का पता नहीं चलता है क्योंकि डॉ. तनेजा (पीडब्लू. 6) द्वारा दिए गए चिकित्सीय साक्ष्य से नेत्र साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती है और दूसरा, जहां तक अपीलकर्ता नंबर 2 बृजकिशोर शर्मा @कल्लू का संबंध है, डॉ. R.K.Taneja (पीडब्लू. 6) द्वारा दिए गए विशिष्ट निष्कर्ष को देखते हुए, मृत्यु का कारण घातक था और यह फेमोरल धमनी में चोट के साथ-साथ फेफड़ों में बंदूक की गोली की चोट के कारण हुआ था, यह नहीं कहा जा सकता है कि फेमोरल धमनी एक महत्वपूर्ण अंग नहीं है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कल्लू का साझा इरादा था, जबकि अपीलार्थी संख्या 1 और 3 की उपस्थिति संदिग्ध है।इसलिए, अपीलकर्ता संख्या 1 और 3 को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था जिसे निचली विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है।जब किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की जाती है और अभियोजन पक्ष की कहानी द्वारा चिकित्सा साक्ष्य की पुष्टि नहीं की जाती है, तो जैसा कि (2014) 16 एस. सी. सी. 303 में बताया गया है, लिलिया बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित दोषसिद्धि को उलट दिया गया था।इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि यह अपीलकर्ता संख्या 1 रामजीलाल और संख्या 3 बृजनंदन @बृजेश शर्मा के पक्ष में बरी होने का मामला दर्ज करने के लिए उपयुक्त है।जहाँ तक अपीलार्थी सं. 2 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराए जाने का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। "

/

/

/

/

/

759

एम. पी. बनाम राज्यरामजी लाल शर्मा और एएनआर। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

उपरोक्त निष्कर्षों/तर्क के अलावा उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्य निष्कर्ष दर्ज नहीं किए जाते हैं।

4.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी है, वह यह है कि नेत्र साक्ष्य के साथ-साथ चिकित्सा साक्ष्य और/या नेत्र साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है और इसलिए, अभियुक्त संख्या 1 और 3 की उपस्थिति संदिग्ध है।उच्च न्यायालय के अनुसार, चश्मदीद गवाह पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 ने कहा कि आरोपी नंबर 1 और 3 के हाथों में कुल्हाड़ी थी, उन्होंने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया, हालांकि, चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार कुल्हाड़ी से ऐसी कोई चोट नहीं मिली है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू5 सभी घटना के चश्मदीद गवाह हैं और जहाँ तक अन्य अभियुक्तों का संबंध है, उनका मानना है।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राथमिकी दर्ज करने/दर्ज करने की शुरुआत से ही सभी अभियुक्तों के नामों का खुलासा किया गया था।एफ. आई. आर. में अभियुक्त संख्या 1 और 3 का भी नाम था। सभी चश्मदीद गवाहों का कहना है कि आरोपी नंबर 1 और 3 भी अन्य अभियुक्तों के साथ आए थे।इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा उनकी उपस्थिति स्थापित और साबित की गई है।पीडब्लू1 के बयान को देखने के बाद भी उनका मामला यह था कि रामजीलाल-आरोपी नंबर 1 ने पहले मुंशीलाल को कुल्हाड़ी से मारा जिसे मुंशीलाल ने अपने हाथ से पकड़ लिया था।अगर ऐसा होता तो मुंशीलाल के हाथ पर कोई चोट नहीं लग सकती थी।यहां तक कि पीडब्लू 5, जो गवाहों में से एक भी है, ने भी गवाही दी है और जिरह में भी कहा है कि रामजीलाल ने कुल्हाड़ी मारी और मुंशीलाल ने कुल्हाड़ी का सिर पकड़ लिया, इसलिए, कुल्हाड़ी मुंशीलाल को नहीं मार सकी।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य में कोई भौतिक विरोधाभास हैं जिनका संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

/

/

/

/

/

4.2 अन्यथा भी एक बार जब अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्थापित और साबित हो जाता है कि सभी आरोपी मृतक को मारने के समान इरादे से घटना स्थल पर आए थे और इस तरह, वे समान इरादे से आए थे, उस मामले में यह मायने नहीं रखता कि किसी भी आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल किया था या नहीं और/या उनमें से किसी ने मृतक को कोई चोट पहुंचाई थी या नहीं।

/

4.3 इस प्रकार परिच्छेद 35 में विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने मृतक को मारने के लिए सभी अभियुक्तों द्वारा साझा किए गए सामान्य इरादे पर विशिष्ट निष्कर्ष दिए।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मामले के उपरोक्त महत्वपूर्ण पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।उच्च न्यायालय ने भी रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य पर चर्चा और/या फिर से सराहना नहीं की है और आरोपी को बरी कर दिया है।

/

760

/

[2022] 1 एस सी आर।

संख्या 1 और 3 केवल यह देखते हुए कि नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभास हैं, और इसलिए अभियुक्त संख्या 1 और 3 की उपस्थिति संदिग्ध है और इसलिए, वे संदेह के लाभ के हकदार हैं।जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई भौतिक विरोधाभास नहीं हैं।सभी अभियुक्तों की उपस्थिति स्थापित और साबित की गई है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में भी सफल रहा है कि अभियुक्त संख्या 1 और 3 सहित सभी अभियुक्तों का एक ही इरादा था।इसलिए, इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त संख्या 1 और 3 सहित सभी अभियुक्तों को उचित रूप से दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को उलटने और अभियुक्त संख्या 1 और 3-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को संदेह का लाभ देकर बरी करने में गलती की है।

/

/

5. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है। आपराधिक अपील अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसअंतर्गत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अपराधों के लिए मूल अभियुक्त संख्या 1 और 3 को बरी किया गया है, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 34 के साथ पठित दंडनीय अअंतर्गत ाधों के लिए प्रतिवादी संख्या 1 और 2-मूल अभियुक्त संख्या 1 और 3 को दोषी ठहराते हुए विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को भी बहाल किया जाता है।अब इसमें उत्तरदाता-मूल अभियुक्त को विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा के अनुसार शेष सजा से गुजरना होगा।प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित जेल अधिकारियों या न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है।

/

/

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/